बिहार सरकार,
कृषि विभाग

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–76 / 2016– 4608 / कृ0,पटना दिनांक 23.11- 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) अन्तर्गत केन्द्रांश 1676.17 लाख रूपये एवं राज्यांश 1117.45 लाख रूपये अर्थात कुल 2793.62 लाख (सताइस करोड़ तिरानवे लाख बासठ हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत

वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) अन्तर्गत केन्द्रांश 1676.17 लाख रूपये एवं राज्यांश 1117.45 लाख रूपये अर्थात कुल 2793.62 लाख (सताइस करोड़ तिरानवे लाख बासठ हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्तुत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2017–18 में किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के निर्धारण / संशोधन हेतु प्रशासी विभाग सक्षम होंगे। वर्ष 2015–16 से राज्य के 15 जिलों के 327 कलस्टर में योजना कार्यान्वित की जा रही है। उसी कलस्टर में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में 100 कलस्टर में नई योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। भौतिक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है। 327 कलस्टर के लिए द्वितीय वर्ष हेतु जिलावार लक्ष्य अनुसूची–1 के रूप में, 327 कलस्टर के लिए तृतीय वर्ष हेतु जिलावार लक्ष्य अनुसूची–2 के रूप में, 100 कलस्टर के लिए प्रथम वर्ष हेतु जिलावार लक्ष्य अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

3. यह योजना 60% केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश के तर्ज पर संचालित होगी। वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा पूर्व से संचालित 327 कलस्टर के लिए Committed Liability के रूप में 674.03456 लाख रूपये एवं योजना के तृतीय वर्ष के लिए 573.85734 लाख रूपये कुल 1247.8919 लाख रूपये Allocate किया गया है, तथा 100 नये कलस्टर के लिए 428.2844 लाख रूपये 60% केन्द्रांश के रूप में Allocate किया गया है। तदनुसार राज्यांश मद से 40% राशि 449.36 लाख रूपये 327 कलस्टर के द्वितीय वर्ष के लिए एवं 382.57 लाख रूपये 327 कलस्टर के तृतीय वर्ष के लिए तथा 285.52 लाख रूपये 100 नये कलस्टर के लिए उपलब्ध कराया जाना है। इस प्रकार से केन्द्रांश 1676.17 लाख रूपये तथा राज्यांश 1117.45 लाख रूपये कुल 2793.62 लाख रूपये से योजना कार्यान्वित किया जाना है। प्रत्येक कलस्टर में कुल लाभान्वित किसानों की संख्या में कम से कम 65% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के होंगे। साथ ही महिला *कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।*

E:\ABHINAV\2017-18\PKVY.doc